

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी अरांई

मुकाम अरांई (अजमेर)

• कमल किशोर शर्मा पुत्र स्व. सुवालला जाति ब्राह्मण उम्र करीनब 63 साल निवासी ग्राम झाडौल, पंचायत मण्डावरिया तहसील व थाना अरांई जिला अजमेर राज हाल निवासी सुभाष नगर भीलवाडा राज.।
-वादी।

बनाम

• सूर्यकान्ता पत्नी स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद उम्र बालिग निवासी ग्राम झाडौल पंचायत मण्डावरिया तहसील व थाना अरांई हाल निवासी सुभाष नगर अजमेर राजस्थान व अन्य
-प्रतिवादीगण।




किस्म मुकदमा- धारा 53,188 राज0 का0 अधि01955

नंबर 16/2024

ऑनलाइन नंबर 2024 /

वकील वादी :- अशोक शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/4/2024	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 188, 53 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 25/5/2024 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अरांई	
03/5/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपर प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री गोविंद वासनी जुरेहित द्वारा वकालत पत्र पेश किया। अचकी तलबी केचही वास्ते तलबी प्रतिवादीगण 01/06/24 वकालत पत्रावली 21/06/24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	
21/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। तलबी केतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण केतु दिनांक 21/8/24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अरांई	

